न्यायालय राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर, केम्प उज्जैन

निग. 2634-III/15

प्रदीपकुमार शर्मा एड.

10/8/15

श्री प्रदीपकुमार शर्मा एड. द्वारा
पेश क्र. 24 पर प्राप्त दिनांक 10.8.15 को

रूगनाथ पिता रामलाल जाति बंजारा उम्र वर्ष धन्धा कृषि निवासी ग्राम जलोदा परगना मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर

.... निगरानीकर्ता

बनाम

जितेन्द्र पिता गब्बुसिंह जाति राजपुत उम्र वर्ष निवासी ग्राम जलोदा परगना मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर

.... विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता विरूद्ध प्र.क्र.37अ–12/14–15 में किये गये सीमांकन दिनांक 10.06.2015 से असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी ने एक आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार महोदय मो.बड़ोदिया के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य भूमि सर्वे क्र. 401/2 रकबा 0.86 हैक्टर ग्राम जलोदा में स्थित है उक्त भूमि का सीमांकन किया जावे। जिस पर से तहसीलदार महोदय द्वारा सीमांकन हेतु आदेश पारित किया। तहसीलदार महोदय के आदेश के पालन में ग्राम पटवारी द्वारा दिनांक 21–05–2015 को विपक्षी की उक्त भूमि का सीमांकन किया जिसके द्वारा निगरानीकर्ता के आधिपत्य में विपक्षी की भुमि सर्वे क्र. 401/2 रकबा 0.86 हेक्टर में से रकबा 0.15 हेक्टर भुमि पर पश्चिम दिशा की ओर निगरानीकर्ता का आधिपत्य पाया उक्त सीमांकन दिनांक 10–06–2015 को किया गया जिससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी नियत अवधि में निम्नलिखित आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :–

R-2634-III/15

23.11.2016 Non-[illegible] [illegible] [illegible signature]	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। अतः आवेदक द्वारा प्रकरण के निराकरण में रुचि नहीं लेने से अग्राह्य किया जाता है। [signature] अध्यक्ष